सं.प्रशा./हि.क./8038/~~कार्यशाला~~ /प्रो.प्रो.

कार्यालय, रक्षा लेखा नियंत्रक (सेना)

मेरठ छावनी

दिनांक: 25.01.2017

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,

मुख्य कार्यालय के सभी अनुभाग एवं

इस संगठन के सभी अधीनस्थ कार्यालय

**विषय: सरकारी कामकाज में टिप्पण/ आलेखन मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए राशि में वृद्धि के संबंध में ।**

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक- 14 सितंबर, 2016 के का.ज्ञा. सं- 12013/01/2011-रा.भा. (नीति) के अंतर्गत सरकारी कामकाज में टिप्पण /आलेखन मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में आपको आवश्यक सूचना हेतु प्रेषित किया जाता है ।

संलग्नक ; कार्यालय ज्ञापन की प्रति

(कुँअर पाल)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

(5)

सं. 12013/01/2011- रा. भा (नीति )

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

.......

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2 बिल्डिंग,
जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक 15 सितम्बर, 2016

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय :- सरकारी कामकाज में टिप्पण/आलेखन मूल रूप से हिंदी में करने के लिए प्रोत्साहन राशि में वृद्धि के संबंध में।**

राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) के तहत सरकारी कामकाज में मूलत: हिंदी में टिप्पण/आलेखन के लिए पहले से प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। दिनांक 30 अक्तूबर 2012 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/01/2011-रा.भा.(नीति) का अधिक्रमण करते हुए मंत्रालय/विभाग/संबद्ध कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय एवं केंद्रीय सरकार के किसी विभाग के अधीनस्थ कार्यालय के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि में संशोधन किया गया है। जो इस प्रकार है:

पहला पुरस्कार (2 पुरस्कार ) : प्रत्येक रु. 5000/-
दूसरा पुरस्कार (3 पुरस्कार ) : प्रत्येक रु. 3000/-
तीसरा पुरस्कार (5 पुरस्कार ) : प्रत्येक रु. 2000/-

2. अब यह प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालय/विभाग/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त् निकाय आदि कार्यालयों के लिए एक समान रूप से लागू होगी। राजभाषा विभाग के दिनांक 16 फ़रवरी, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/12013/3/87-रा.भा.(क-2) में दिये गए मार्गदर्शी सिद्धांत में उल्लिखित सभी शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

3. यह कार्यालय ज्ञापन वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 25-07-2016 के डायरी सं0 3103736/वित्त II/2016 के अंतर्गत प्राप्त अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(डॉ श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति)

सेवा में:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, उनसे यह भी अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को अपने संबद्ध तथा